हमारा ई-मेल : panchambpl@gmail.com

पंचम्

पंचायती राज महासंघ कार का समाचार-पत्र

पंचायती राज महासंघ चुने हुए त्रिस्तरीय पंचायतीराज जन–प्रतिनिधियों का एक संयुक्त मंच है, जो प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त, सक्रिय जबावदेह एवं पारदर्शी बनाने के लिये प्रयासरत् है। वर्तमान में 25 जिलों के 40 ब्लाकों में लगभग 5000 निर्वाचित जन–प्रतिनिधी पंचायती राज महासंघ की सदस्यता ग्रहण कर कार्यरत् है।

वर्ष : 6 अंक : 07 | भोपाल, अक्टूबर 2012 | RNI MP 2007/20746 | पृष्ठ : 8 | मूल्य 5 रूपए

पंचायती राज महासंघ की प्रदेश स्तरीय बैठक सम्पन्न

पंच परमेश्वर योजना पर जनप्रतिनिधियों ने उठाये कई सवाल

पंचायती राज महासंघ के सचिव आशुतोष रजक की रिपोर्ट

पंच परमेश्वर योजना तथा पंचायती राज से संबंधित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों तथा पचायत जनप्रतिनिधियों के नीतिगत समस्याओं पर रणनीति बनाने के उद्देश्य से पंचायत राज महासंघ की प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 को समर्थन – सेन्टर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट, भोपाल के सभागार में आयोजित किया गया। जिसमें राज्य 17 जिलों के पंचायत जनप्रतिनिधियो ने भाग लिया।

इस बैठक में समर्थन के निदेशक डा. योगेश कुमार ने पंचायत राज महासंघ की पृष्ठभूमि रखतें हुए कहा कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज कानून लागू होने के बाद परिस्थितियॉं अनुकुल होने की सम्भावना जागृत हुई है, अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों को उन्हे अपने क्षेत्र की समस्याओं पर कार्य करने के लिये ज्यादा अधिकार प्राप्त है। किन्तु आज, पंचायतो के उपर ये आक्षेप लग रहे है कि ये भ्रष्ट्राचार की केन्द्र हो गई है और उसी में लिप्त है, परन्तु ये देखना जरूरी है कि उसके कारण क्या है? ऐसी परिस्थिति कौन बना रहा है? क्या हमारी व्यवस्था बनाने या नीति में कुछ खामियॉं है? मिडिया अपनी भूमिका कैसे निभा रहा है? आये दिन पंचायत जनप्रतिनिधियों की नकारात्मक खबरें तथा प्रशासन कि अच्छी खबरों का प्रकाशन? इसमें पंचायत प्रतिनिधियों के दृष्टिकोण को भी देखना होगा।

मुख्य अतिथि पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज उपसंचालक श्री टी. गणेश कुमार अय्यर ने अध्यात्मिक एवं धार्मिक अंदाज में सरकारी योजनाओं पर चर्चा करते हुए पंच–परमेश्वर योजना को विस्तार से बताया। उन्होने कहा कि पंच परमेश्वर योजना के अर्न्तगत् विभिन्न योजनाओं के तहत् पंचायतो को टुकड़े मे मिलने वाली राशि को सम्मिलित कर एक साथ दे दी जायेगी जैसे 13वां वित्त आयोग, राज वित्त का मूलभूत अनुदान, खनिज एवं उत्खनन् की रायल्टी, स्टॉम्प ड्युटी आदि। इन सभी आवंटन को पंचायत राज खाते में एकीकृत करने व ग्राम विकास की एकीकृत योजना बनाने के निर्देश दिये है। जिसके अन्तर्गत् ग्राम के भीतर नाली व आंतरिक रोड, आंगनवाड़ी भवन निर्माण, ई–पंचायत कक्ष का निर्माण तथा पंचायतो को प्राप्त होने वाली 10 प्रतिशत राशि का उपयोग परिसंपत्तियों के रख–रखाव एवं सफाई कार्य पर व्यय कर सकेगी। इस एकीकृत कार्ययोजना में पहले उपरोक्त कार्यो को कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होने कहा कि प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति का अधिकार भी ग्राम पंचायतों को है, तथा इस एकीकृत योजना के अन्तर्गत एक पंचायत को एक हीं खाता रखना होगा। ई–पचायत का निर्माण इसलिये जरूरी हो गया है कि ग्राम पंचायत को पैसा जल्दी से जल्दी पैसा पहुँचाया जा सके, वर्तमान स्वरूप में समय से पैसा पंचायतों को नही पहुँच पाती जिससें कोई भी कार्य समय पर पुरा नही हो रहा है।

जिस पर कई जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाये कि ये योजना पंचायती राज कानून, ग्राम सभा की निर्णय लेने शक्तियॉं एवं जनप्रतिनिधियों के विवेकाधीन अधिकार के विपरीत है और सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन हो रहा है। जन प्रतिनिधियो ने कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये जिस पर पंचायती राज उपसंचालक श्री टी. गणेश कुमार ने अपने विभाग के उच्च अधिकारियों के समक्ष रखने व उस पर विचार करने का आश्वासन भी दिया।

इसके पूर्व पंचायत राज महासंघ सचिवालय के अधिवक्ता श्री अनुप कुमार श्रीवास्तवा ने मध्य प्रदेश पंचायत राज व ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 व मध्य प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2001 तथा शासन द्वारा दिये जा रहें निर्देशों का विश्लेशानात्मक तथ्यों को रखा। शेष पृष्ठ 5 पर

गांव की तस्वीर बदलने में ग्रामसभाओं की अहमं भूमिका

कलेक्टर ने ग्राम फतेहपुर में कांजीहाउस एवं ग्राम श्यामपुर में हैंडपंप लगाने को दिए निर्देश

भिण्ड से कासीम खान कि रिपोर्ट

जिला कलेक्टर श्री अखिलेश श्रीवास्तव ने गोहद जनपदीय अंचल के ग्राम फतेहपुर में ग्रामवासियों की चौपाल वार्ता में कहा कि ग्राम सभाएं गांव की तस्वीर और ग्रामीणों की तकदीर बदलने का महत्वपूर्ण जरिया सिद्व हो सकती हैं। इसलिए ग्रामीणों को अपने गांव में हर माह नियमित रूप से ग्रामसभाओं का आयोजन करें और अपनी समस्याओं का समाधान और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि उनके गांव के लिए ग्रामसभा सौ तालों की एक चाबी के समान है, जिसके जरिए वे विकास की राह पर चल सकते हैं।

कलेक्टर ने ग्रामवासियों द्वारा आवारा पशुओं की समस्या बताए जाने पर गांव में कांजीहाउस चालू कराने के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद को निर्देश दिए और ग्राम श्यामपुर में हैंडपंप की मांग रखने पर वहां हैंडपंप उत्खनन कराने के प्रभारी कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने अधूरे पड़े माध्यमिक विद्यालय के भवन को पूर्ण करने के उपयंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को निर्देश दिए और गांव में पंचायत भवन का निर्माण कार्य शुरू न करने पर ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करने और उसके स्थान पर नई निर्माण एजेंसी निर्धारित करने के उपयंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को निर्देश दिए।

कलेक्टर ने ग्रामवासियों से कहा कि आप स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। बस, आपको यह पता होना चाहिए कि आपका कौन–सा कार्य किस विभाग के किस अधिकारी के द्वारा संपादित होगा और उस अधिकारी के ऊपर और कौन–सा अधिकारी है। उन्होंने कहा कि गांव की समस्याओं के निपटारे और कल्याणकारी योजनाओं से लाभ उठाने के मुद्दे पर चर्चा के लिए ग्रामसभाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। इसलिए ग्रामसभाओं का ठीक से आयोजन कराया जाए और उनमें विषयवार मुद्दों की समीक्षा की जाए। खासकर सामयिक विषयों की गहन समीक्षा की जाए।

उन्होंने कहा कि वे विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को ग्रामसभा में बुलाकर उनसे सरकारी योजनाओं की जानकारी दिलाना सुनिश्चित करें। अगर कोई कर्मचारी ग्रामसभा में जानकारी देने अथवा ग्रामवासियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो उस कर्मचारी के खण्ड स्तरीय अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं उसके जिला स्तरीय अधिकारी को बताएं। उन्होंने कहा कि ग्रामसभाओं का आयोजन कराने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव की है और ग्रामसभा में ग्रामवासियों की समस्याएं सुनने और उनको हल करने की जिम्मेदारी विभिन्न विभागों के मैदानी अमले की है।

कलेक्टर ने कहा कि गांव में आयोजित होने वाली ग्रामसभा में सभी महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों एवं पुरूषों को पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामसभा में जिन विभागों की समीक्षा की जाएगी, उनके खण्ड स्तरीय अधिकारियों को भी उसमें उपस्थित होकर जानकारी देना होगी। उन्होंने सरपंच से कहा कि पंचायतों को इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि ग्रामवासियों को कल्याणकारी योजनाओं और शासन द्वारा प्रदत्त सेवाओं का लाभ मिल रहा है अथवा नहीं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को यह भी देखना चाहिए कि गांव में ग्रामवासियों को समय पर राशन और मिट्टी तेल मिल रहा है अथवा नहीं तथा पेंशनधारियों को पेंशन मिल रही हैं अथवा नहीं और स्कूलों में शिक्षक नियमित रूप से आ रहे हैं अथवा नहीं।

पंचायती राज महासंघ की नई कार्यकारिणी का चुनाव 7 नवम्बर को

भोपाल, पंचायत राज महासंघ की प्रदेश स्तरीय बैठक में पंचायती राज महासंघ की नई कार्यकारिणी का चुनाव 7 नवम्बर 2012 को निर्धारित किया गया। विदित हो कि पंचायती राज महासंघ कार्यकारिणी का कार्यकाल पॉंच वर्ष का होता है जिसमें से आधे सदस्यों का कार्यकाल चकानुसार ढाई वर्ष में समाप्त हो कर नये सदस्य पॉंच साल के लिये निर्वाचित होते है। इस चुनाव में सभी सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो चुका है इसलिये जल्द से जल्द नये चुनाव कराना जरूरी हो गया है। इस चुनाव में 15 अक्टुबर 2012 तक सदस्यता की अंतिम तारीख को कअ–ऑफ डेट मानकर मतदाता सूची तैयार होगी तथा चुनाव में वही सदस्य अपनी उम्मिदवार होगें व अपना मत दे सकेंगे जिनके पास वैद्य सदस्यता व मतदाता सूची में नाम दर्ज होगा।

- मतदाता सूची (सदस्यता ग्रहण) करने की अंतिम तारीख 15 अक्टुबर 2012
- मतदाता सूची जारी होने की तारीख 20 अक्टुबर 2012
- चूनाव की अधिसूचना जारी होने की तारीख 22 अक्टुबर 2012
- उम्मिदवारी का निर्धारण व चूनाव की तारीख 7 नवम्बर 2012
- परिणाम की घोषणा सायंकाल दिनांक 7 नवम्बर 2012

पंचायत की वेबसाइट पर निर्माण कार्यो का ब्योरा

भोपाल। जिले के फंदा जनपद पंचायत की लांबाखेड़ा पंचायत में रविवार को मनरेगा आयुक्त डॉ. रवींद्र पस्तौर ने पंचायत की वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यू डब्ल्यू डॉट जीपी लांबाखेड़ा) का लो. कार्पण किया। पस्तौर ने कहा कि लांबाखेड़ा पंचायत ने अन्य पंचायतों के लिए भी उदाहरण पेश किया है। पंचायत की सरपंच ममता नारायण सिंह गौर ने बताया कि वेबसाइट से सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी होगी तथा आम ग्रामीण सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए वेबसाइट से भी फार्म डाउनलोड कर सकेगें। वेबसाइट में ग्रामसभा के फैसलों की जानकारी होगी एवं पंचायत द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यो की पूरी जानकारी और उसके बजट का भी पूरा ब्यौरा होगा। जनपद अध्यक्ष अनोखी मानसिंह पटेल ने 85 ग्राम पंचायतों में हो रहे मनरेगा कार्यो की प्रगति से पस्तौर को अवगत कराया।

साभार: दैनिक भास्कर, भोपाल

पंचायत भवन बनाने की लागत बढ़ी, ठेकदारो ने किया इंन्कार

अनुप कुमार श्रीवास्तवा की रिपोर्ट

अब पंचायतों को सोंपा गया काम

- प्रदेश में 16 सौ से ज्यादा पंचायतों के पास अपना भवन नही
- प्रशासन ने प्रति पंचायत भवन 10.85 लाख रुपए की लागत तय की थी। सीमेंट, लोहा, रेत, ईट के दामों में भारी वृद्वि के कारण नूकसान होने का खतरा
- आठ–आठ बार टेंडर निकालने के बाद भी ठेकेदारो ने नही भरा टेंडर
- भवन की लागत बढ़ाकर 13 लाख 25 हजार रुपए करने का प्रस्ताव
- वित्त विभाग ने प्रस्ताव ठुकराया

भोपाल, पंचायत नहकमे की महत्वाकांक्षी पंचायत भवन योजना से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आरईएस) ने अपने हाथ खींच लिए हैं। भवनों के प्रस्तावति लागत को बढ़ाने से शासन के दो टूक इंकार के बाद यह कदम उठाया गया है। बताया जा रहा है कि जो दर तय हुई है उसमें अब ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं हैं। इसलिए मजबूरी में आरईएस ने तय किया है कि वह अब पंचायत भवन नहीं बनवाएगी।

यह ज्ञात हो कि प्रदेश की 23 हजार से ज्यादा पंचायतों में से लगभग 16 सौ पंचायतें ऐसी हैं, जिनके पास भवन की व्यवस्था नहीं है। इसकी वजह से पंचायतों के अपने कामकाज के साथ–साथ मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण योजना का काम प्रभावित हो रहा है इसलिए स्टॉम्प ड्यूटी मद से चार सौ करोड़ रुपए का इंतजाम कर पंचायत भवन बनाने का फैसला लेते हुए निर्माण की जिम्मेदारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को सौपी गई थी। विदित है कि प्रशासन ने प्रति पंचायत भवन दस लाख 85 हजार रुपए की लागत तय की थी।

इस आधार पर 11 सौ से ज्यादा पंचायत भवन बनाने के लिए समूह में ठेके भी दिए जा चुके हैं, लेकिन सीमेंट, लोहा, रेत, ईट सहित अन्य वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी होने की वजह से आठ–आठ बार टेंडर निकालने के बाद भी ठेकेदार काम करने को राजी नही हो रहे है इस समस्या को देखते हुए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ने प्रति भवन की लागत बढ़ाकर 13 लाख 25 हजार रुपए करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को दिया था, लेकिन विभाग ने बजट का अभाव बताते हुए इसे सिरे से नकार दिया।

उधर, एक बार फिर आरईएस ने निविदा निकाली लेकिन एक भी ठेकेदार ने आवेदन नहीं किया। इसके बाद ही आरईएस ने विभाग को पुरानी लागत में काम करवाने में आ रही दिक्कतों का हवाला देते हुए निर्माण कार्य से हाथ खींच लिए। सूत्रों का कहना है कि अब पंचायतें ही अपने स्तर पर निर्माण कार्य कराएंगी। इसके लिए शर्तें क्या रहेंगी यह अभी तय होना बाकी है।

साभार : म.प्र.न्यूज पोर्टल

"पंचायती राज महासंघ" की छिन्दवाड़ा जिले में सम्पर्क अभियान

छिन्दवाड़ा जिले के हर्रई एवं अमरवाड़ा जनपद पंचायत में "पंचायत राज महासंघ" की कार्य विस्तार करने, पंचायत जनप्रतिनिधियों का नेटवर्क स्थापित करने तथा सदस्यता को बढ़ाने के उद्देश्य से दिनांक 6–7 अक्टुबर 2012 को क्षेत्रीय दौरा किया गया। इस दो दिवसीय सघन सम्पर्क अभियान के तहत पंचायत राज महासंघ सचिवालय से श्री अनुप कुमार श्रीवास्तवा, श्री इजहार कुरैशी ने जिले के हर्रई जनपद पर जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक भी की तथा विभिन्न ग्राम पंचायतो के जनप्रतिनिधियो से सम्पर्क करने की योजना भी बनाई जिसमें प्रयास संस्थान के श्री महेन्द्र सिंह, श्री देहलान जी एवं श्री कृपाल जी भी मौजूद थे।

"पंचायत राज महासंघ" के विस्तार व सम्पर्क अभियान के तहत लगभग 9 ग्राम पंचायतें नवलपुर, बान्धुरी, झिरपी, तेलिया, मो. हरिया, भूमका, बिछुआ, नाचना एवं खेरदा पंचायतों के विभिन्न पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, एवं जिला पंचायत सदस्यों के साथ बैठके की गई तथा पंचायत राज महासंघ के उद्देश्य, कार्य, संस्थागत ढाचा एवं सदस्यता पर विस्तार पूर्वक बताया गया तथ पंचायत जन प्रतिनिधियो के कार्यो में आने वाली दैनिक समस्याओ, शासन प्रशासन द्वारा किये जाने वाले नकारात्मक सहयोग एवं पंचायती राज कानून के अन्तर्गत जन प्रतिनिधियो को मिले हक–व अधिकारो का उपयोग गॉव के विकास में करने पर चर्चा हुई।

भारतीय संविधान की धारा 40 के अनुरूप पंचायती राज के सशक्तिकरण के बिना स्थानीय स्वशासन मजबूत करना तथा एकजूट होकर जन–भावना के अनुरूप कार्य को प्राथमिकता से कराना जनप्रतिनिधियों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिये। इस सम्पर्क अभियान के तहत मुख्य रूप से श्री त्रिलोक चंद सरपंच – नवलपुर, श्री घनपाल सरेआम सरपंच – भूमका, श्री कन्हैयालाल इन्वाती सरपंच –खेरदा, श्री रविशकर वार्डपंच, श्री सुखदयाल वार्डपंच, सनकार खुशाम वार्डपंच ने पंचायती राज महासंघ की सदस्यता बढाने और संघ को मजबुत करने की ज़िम्मेदारी भी ली।

"पंचायत राज महासंघ" की झाबुआ में बैठक सम्पन्न

झाबुआ से अनुप कुमार श्रीवास्तवा की रिपोर्ट

झाबुआ जिले के मेघनगर में स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज के सशक्तिकरण के लिये कार्य करने वाली "पंचायत राज महासंघ" की एक दिवसीय बैठक का आयोजन स्थानीय गेस्ट हाऊस में किया गया। जिसमें मेघनगर जनपद पंचायत में निर्वाचित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्यो ने भाग लिया। इस बैठक में पंचायत जन प्रतिनिधियो के कार्यो में आने वाली दैनिक कठिनाईओ, शासन प्रशासन द्वारा किये जाने वाले हस्तक्षेप, तथा पंचायती राज कानून के अन्तर्गत जन प्रतिनिधियो को मिले हक–व अधिकारो का उपयोग गॉव के विकास मे करने पर चर्चा हुई। जिसमे यह महसुस किया गया कि समस्त पंचायत जनप्रतिनिधियो का एक मिला–जुला मंच हो जिसके माध्यम से अपनी समस्याऐं राज्य शासन तक पहुचाया जा सके। यह विदित है कि "पंचायत राज महासंघ" पंचायत जन प्रति. निधियो का मिला–जुला संगठन राज्य स्तर पर बना हुआ है जिसे जमीनी स्तर पर भी मजबुत करने की आवश्यकता है।

इसी कड़ी में यह तय किया गया कि मेघनगर जनपद पंचायत के समस्त जनप्रतिनिधियो के साथ चर्चा कर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा तथा उनकी एक कार्यकारिणी बनाई जायेगी। इसी प्रकार अन्य जनपद पंचायतो की कार्यकारिणी बनाकर जिला स्तर की कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा जो राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व भी करेगा।

इसके पूर्व समर्थन के श्री विनय झा ने पंचायती राज के मूल भावनाओं एवं पंचायत जनप्रतिनिधियों के कर्तव्य, दायित्व के निर्वहण करने पर जोर दिया तथा कहा कि जनप्रतिनिधी इमानदारी से इसकी पालन करें तों गॉव का विकास स्वतः ही होगा। पंचायत महासंघ सचिवालय, भोपाल से आये श्री अनुप कुमार श्रीवास्तव ने पंचायत महासंघ के उद्देश्य, कार्य, संस्थागत ढाचा एवं सदस्यता पर विस्तार पूर्वक बताया गया, जिससे सभी सहभागी जनप्रतिनिधियो एक मत से सहमति जताते हुए कहा कि इस संघ से हम सभी मिलकर नजबुत करेगे। इस बैठक कि अध्यक्षता ग्राम पंचायत डुंडरा के सरपंच श्री प्रताप तहोड़ ने किया जबकि धन्यवाद ज्ञापन ग्राम पंचायत दाडनिया के उपसरपंच श्री फातिया वसुनिया ने किया।

पंचायतीराज कानून की धारा 40 का जमकर हो रहा है दुरूपयोग

अनुप कुमार श्रीवास्तवा की रिपोर्ट

बैठक में प्रस्तुत शोध रिपोर्ट से हुआ खुलासा

- कानूनविदों की राय में संविधान के अनुच्छेद 243 एफ में व्यक्त मूल भावना के खिलाफ मध्य प्रदेश पंचायतीराज एवं ग्राम स्वराज कानून की धारा 40
- म.प्र. के 15 जिलों के 30 ब्लाक एवं 60 ग्राम पंचायतों के शोध में हुआ खुलासा
- अधिकारियों के विरोध पर लगती है धारा 40
- महिला सरपंच के पंचायत बैठक में भाग न लेने पर भी भेजा

अध्ययन से प्राप्त आकडों से पता चलता है कि –

- धारा 40 का शासन एवं प्रशासन द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन नही होता है
- पंचायत के पूरे प्रस्ताव पर कार्यवाही करने के पश्चात सरपंच को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाता है जो कि सर्वोच्च न्यायालय की भावना के विपरीत है।
- धारा 40 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग नियमित प्रशासनिक कार्यवाही के संचालन के लिये किया जाता है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों से असंगत है।
- अधिकांश प्रकरणों में कार्यवाही महिला पंचायत प्रतिनिधियों ,अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधियों के खिलाफ है।

भोपाल, पंचायतीराज कानून की धारा 40 के अर्न्तगत पंचायत जनप्रतिनिधियों के खिलाफ हो रहे दुरूपयोग एवं इसके विसंगतियों को लेकर एक दिवसीय बैठक 8 अक्टुबर 2012 को वेलकम हेरीटेज होटल भोपाल में द हंगर प्रोजेक्ट एवं डिवेट द्वारा आयोजित किया गया जिसमें राज्य के कई स्वैच्छिक संस्था, संगठनों, पंचायत राज विषय विशेषज्ञों, अधिवक्ताओं एवं प्रेस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस बैठक में डिवेट के अमिताभ सिंह और लीना सिंह ने पंचायतीराज कानून की धारा 40 पर म.प्र. के 15 जिलों के 30 ब्लाक एवं 60 ग्राम पंचायतों से तथ्यों एवं जानकारियों का संकलन व अध्ययन को सांझा किया। अध्ययन में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के अदेशों के निष्कर्शो व उनकी महत्ता पर प्रकाश डाला। माननीय सर्वोच्चय न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि इस धारा के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग दुलर्भतम उदाहरणों में एकदम अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिये।

धारा 40 के तहत पंचायत प्रतिनिधि को प्रशसकीय अधिकारी हटा सकते हैं जबकि ग्राम सभा के पास भी पंचायत प्रतिनिधिको वापस बुलाने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 243 एफ में पंचायत प्रति. निधियों की अयोग्यता निर्धारित करने का अधिकार राज्य को है ऐसे में उनको हटाने का अधिकार प्रशासकीय अधिकारी को देना संविधान के अनुच्छेद के 243 एफ में व्यक्त मूल भावना के खिलाफ है। कार्यक्रम में पूर्व मुख्य सचिव श्रीमती निर्मला बुच, एमजीएनआरजीएस कमिश्नर श्री रवीन्द्र पस्तोर वरिष्ठ पत्रकार श्री हरदैनिया जी, पूर्व सरपंच श्रीमती कुशुम कुशवाहा, द हंगर प्रोजेक्ट से श्रीपर्णा चौधरी, शिबानी शर्मा, वेदा भारद्वाज, पंचायती राज महासंघ सचिवालय से अधिवक्ता श्री अनुप कुमार श्रीवास्तवा, अविनाश झाड़े, रोली शिवहरे आदि मुख्यरूप से उपस्थित रहे साथ ही 15 जिलों से स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुये। इस फोरम में उपस्थित सदस्यों का सुझाव था कि इस अध्ययन के आधार पर सरकार के साथ चर्चाकर सांझा किया जाये और धारा 40 को हटाने के लिये प्रयास किये जाने चाहिये।

महिला सरपंच के खिलाफ षड्यंत्र

केशवगढ़ सरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित

टीकमगढ़। अनुविभागीय अधिकारी जतारा ने बताया है कि सोमवार को दोपहर 12 बजे से ग्राम पंचायत भवन केशवगढ़ में सरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिए सम्मेलन बुलाया गया। ग्राम पंचायत केशवगढ़ की सरपंच श्रीमती शशिदेवी जैन के विरूद्ध बुलाये गये अविश्वास प्रस्ताव में पहले 14 पंच उपस्थित हुये। सरपंच शाशि देवी एवं पंच श्रीबाई मतदान की प्रकिया के बीच में दोपहर एक बजे उपस्थित हुई। सरपंच शशिदेवी जैन ने एक आवेदन इस आशय का दिया कि अविश्वास प्रस्ताव के सम्मेलन की उन्हें कोई सूचना नहीं दी गयी। जबकि सचिव द्वारा 8 सितंबर 2012 को श्रीमती शशि देवी जैन के घर पर सूचना गवाहों के सामने चस्पा की गई है। अतः श्रीमती शशि देवी जैन का यह आवेदन निराधार है। श्रीमती शशि देवी जैन ने एक आवेदन पत्र इस आशय का दिया कि पूर्व सरपंच रमेशचन्द्र जैन परिवार वालो को जान से मारने की धमकी दे रहा है। अतः मतगणना जिला स्तर पर कराई जावे। श्रीमती शशिदेवी जैन का यह आवेदन भी निराधार है। क्योंकि मतदान के तुरंत बाद मतगणना का प्रावधान है।

श्रीमती शशिदेवी जैन ने बाद में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा तथा मतदान में भी हिस्सा लिया। विलम्ब से उपस्थित पंच श्रीबाई/मातादीन यादव ने भी मतदान में हिस्सा लिया। स्थल पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान कराया गया। मतदान के उपरांत मतगणना पारदर्शितापूर्ण तरीके से सभी पंच एवं सरपंच के सामने की गई। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 16 में से 14 मत पड़े तथा अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में केवल 02 मत पडे। सभी मतपत्रों को बंद लिफाफे में शील्ड किया गया। पंचायत को गठित करने वाली कुल सदस्य संख्या 16 का दो तिहाई अर्थात 11 तथा उपस्थित सदस्यों 16 का तीन चौथाई अर्थात 12 से अधिक मत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े है। अतः ग्राम पंचायत केशवगढ़ की सरपंच श्रीमती शशिदेवी जैन के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। तहसीलदार मोहनगढ़ की उपस्थिति में यह संपूर्ण कार्यवाही विवरण एक प्रथक रजिस्टर में अंकित किया गया तथा अविश्वास प्रस्ताव के दौरान डाले गये सभी 16 मत वैध पाये गये कोई मतपत्र निरस्त नहीं हुआ।

साभार : म.प्र. न्यूज पोर्टल

पंचायती राज महासंघ ने की छानबीन

ग्रामीणों ने षड्यंत्र का किया पर्दापाश

केशवगढ़ सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर कलेक्टर ने लगाई रोक

अनुप कुमार श्रीवास्तवा की रिपोर्ट

ये पूरी घटना श्रीमती शशिदेवी जैन से अवैध वसूली करने तथा अवैद्यानिक कार्यो को करने से मना करने को लेकर उत्पन्न हुआ। तत्कालिन सचिव ने सरपंच पर अवैध राशि की निकाशी करने, सादे चेक पर हस्ताक्षर करने के लिये दबाव डालता और जब इस कुकृत्य में नाकाम रहा तो उसने पूर्व सरपंच के साथ मिलकर एक व्युह रचना बनाई। सर्वप्रथम सचिव ने सभी वार्ड पंचों को लालच दे कर सरपंच के खिलाफ भरकाया जिसमें से 14 पच उनके लालच में आकर सचिव के साथ हो गये जिन्हें कुछ दिनों के लिये सचिव ने हरिद्वार घुमाने ले गया तथा वहॉ पर सभी को अपनी योजना बताई और उन्हें अ–विश्वास प्रस्ताव लाने के लिये कसम खिलाई। वार्ड पंच वापस आने के बाद सभी 14 पंचों ने सरपंच से एक–एक मोटर साइकिल मांग की (जिनकी कीमत लगभग 8 लाख होती है) नही तो हम सभी आपके खिलाफ अ–विश्वास प्रस्ताव लायेंगे और उसमें हरा देंगे। सरपंच के मना करने के बाद पंचो ने सचिव को सरपंच के फैसले से अवगत कराया।

तत्पश्चात सचिव ने अपने मंसूबों पर पानी फिरता देख अ–विश्वास प्रस्ताव की व्युह रचना को अंजाम देने की ठान ली। फिर तत्कालिन एस.डी. एम से मिलकर केशवगढ़ सरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसकी सूचना किसी भी स्तर से सरपंच को नही दी गई। पंचायत भवन में भीड़ देख जब सरपंच महोदया वहॉ पहूँची तो देखा कि उनके खिलाफ अ–विश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, उन्होने इसका विरोध किया परन्तु उपस्थित तहस. ीलदार मोहनगढ एवं सचिव ने एक न सूनी और फैसला सरपंच के खिलाफ कर दिया गया। ये खबर गॉव में आग की तरह फैल गई जिससे गॉव के लोग काफी क्षुब्ध थें। सरपंच ने गॉव के सहयोग से जिला कलेक्टर के यहॉ पूरी घटना की जानकारी दी तथा गॉव वाले के बयान के आधार पर एस.डी.एम के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर केशवगढ़ के सरपंच श्रीमती शशिदेवी जैन बहाल किया।

केशवगढ़ के सरपंच श्रीनती शशिदेवी जैन ने यह मांग कि की तत्कालिन एस.डी.एम, तहसीलदार एवं सचिव को इस कुकृत्य घटना का अंजाम देने, जनता के पैसो का दुरूपयोग करने की व्युह रचने, महिला सशक्तिकरण नें बाधा डालने, पंचायती राज कानून का गलत उपयोग करने, तथा किसी महिला के विरूध षड़यंत्र रचनें के खिलाफ त्वरीत जॉच कर अविलम्ब उनके पद से हटाया जाए।

ग्रामपंचायतों को सुद्रढ़ किये बिना स्वशासन का लक्ष्य असम्भव

पंचायती राज महासंघ की प्रदेश अध्यक्षा सुश्री लता वानखेड़े का सुझाव

पंचायती राज महासंघ म.प्र. त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का संगठन है जो पंचायत राज व्यवस्था को सक्रिय जबावदेह एवं पारदर्शी बनाने के लिए कार्यरत् है। महासंघ का प्रयास है कि लोकतांत्र को मज्बूत और गांवों की आम जनता को मूलभूत सुविधाऐं पेयजल, बिजली सड़क और पर्याप्त रोजगार के अवसर मिले तथा जन प्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से ग्राम पंचायतों में विकास करने हेतु अधिकार प्रदान किये जावे तभी स्वशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकेंगी। उन्होने पंचायती राज महासंघ के अध्यक्षीय मंडल द्वारा लिये गये निर्णयानूसार निम्न आवश्यक मांगे भी रखी।

(1) संविधान की धारा 40 के तहत् पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की इकाई घोषित किया जावें। जिससे ग्राम पंचायतें बिना किसी दबाव के गांवों के संपूर्ण विकास में भूमिका निभा सकें एवं गांवो का तेजी से विकास हो सके।

(2) ग्राम पंचायतों को राज्य के कुल बजट का 40 प्रतिशत अनुदान सीधे ग्राम पंचायतों को प्रदान किया जावे। जिससे जनपद एवं जिला पंचायत पर निर्भर न रहना पड़े। मध्य प्रदेश में भी केरल के पंचायतीराज के अनुसार कानूनी व्यवस्था की जावें।

(3) पंचायती राज अधिनियम की धारा 7 (ठ) में ग्राम पंचायत क्षेत्र में पदस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों पर ग्राम पंचायत का नियंत्रण हो जिसके स्पष्ट आदेश, निर्देश निकाले जावें, जिससे शासन की योजनाओं का प्रभावी कियान्वयन हो सकें।

(4) राज्य में एक पंचायत ट्युब्नल का गठन किया जावें।

(5) ग्राम पंचायतों को स्टाम्प ड्यूटी एवं गौण खनिज रायल्टी को अनुदान राशि 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत की जावें एवं इसकी सूचना पृथक से ग्राम पंचायत को दी जावे जिसे वर्ष में 6 माह के अंतर से प्रदान की जावें।

(6) ग्रामपंचायतों को सभी योजनाओं में निर्माण कार्य करानें की अधिकतम सीमा 5.00 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया जावे।

(7) "पेयजल योजना" के नाम से छोटी पंचायत को 5 लाख एवं बड़ी पंचायत को 10 लाख रुपये की स्थायी पेय जल/नल जल व्यवस्था हेतु पृथक राशि प्रतिवर्ष प्रदान की जावे।

(8) महात्मागॉधी रोजगार गारंटी योंजना के अंतर्गत 20.00 लाख तक के कार्य स्वीकृति का अधिकार स्वयं ग्राम पंचायत को हो एवं मजदूरी तथा सामग्री का अनुपात 60–40 की जगह 40–60 होना चाहिए एवं सीमेंट कंकरीट रोड, पुलिया, नलजल योजना इत्यादि कार्यो में अनुपात 20–80 होना चाहिए। साथ ही मन्रेगा अंतर्गत 100 दिवस के रोजगार को बढ़ाकर 200 दिवस किया जावे।

(9) मनरेगा में आकस्मिक व्यय 20 प्रतिशत किया जावें एवं योजना में संलग्न सरपंच सहित सभी कर्मचारियों को केन्द्र सरकार द्वारा पृथक से प्रतिमाह 5000 रुपय मानदेय प्रदान किया जावें।

(10) समस्त ग्राम पंचायतों को नजूल भूमि की बाध्यता को समाप्त किया जावें। वर्तमान में 10 कि.मी. के अंदर नजूल भूमि व्यवस्था लागू है, जिस कारण ग्राम पंचायत आवासहीन निर्धन/बी.पी.एल. परिवारों को पट्टा अभाव में बी.पी.एल. परिवार होते हुए भी मुख्यमंत्री आवास/इंदिरा आवास कुटीर लाभ से बंचित रहते है।

(11 गर्मी में पेयजल टेंकर द्वारा गांवों में पानी प्रदाय करने हेतु एस.डी.ओ. द्वारा अनुमति लेने की बाध्यता को समाप्त किया जावें जिससे ग्रामवासियों को समय पर परिवहन कर पेयजल उपलब्ध हो सके।

(12) दूसरे राज्यों की भांति सभी राज्यों में सरपंचों को सम्मानजनक मानदेय 5000 प्रति माह एवं पंचों को बैठक में भाग लेने पर 150/– के मानदेय प्रदान किया जावें।

(13) 500 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी खोली जावे एवं 5000 की जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जावें ताकि बच्चें/गर्भवती महिलाओं को कुपोषण एवं बीमारियों से बचाया जा सकें।

(14) निर्माण कार्यो में व्यय सामग्री की वर्तमान शासकीय दर बढ़ाई जावें ताकि वास्तविक व्यय राशि का वर्तमान मूल्यांकन बाजार रेट अनुसार हो सकें।

(15) मनरेगा अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यो संबंधी नियमों में सुधार किया जावें ताकि जो पंचायते शहर की भांति विकसित हो रही है वहां मूलभूत सुविधाओं जैसे सीमेण्ट रोड, पुलिया, नल–जल पाईप लाइन योजना संबंधी कार्यो को मनरेगा योजना से कराया जा सकें।

(16) पंचायत राज अधिनियम की भाषा अत्यंत क्लिष्ट है अतः भाषा को सरल व स्थानीय भाषा में हो।

(17) ग्राम पंचायत क्षेत्र में होने वाले अतिक्रमण हटाना, व्यवसायिक संस्थानें व दुकाने खोलना, शराब ठेका खोलने संबंधी अनुमति एवं नियंत्रण का अधिकार ग्रामपंचायतों को दिया जावे ताकि क्षेत्र में ग्राम पंचायत का नियंत्रण हो सकें।

(18) जिला पंचायत/जिला योजना समिति एवं सामान्य सभा की बैठकों में सरपंचों की भागीदारी सुनिश्चित की जावें।

(19) ग्राम पंचायत क्षेत्रातर्गत समस्त प्रकार के विवादित/अविवादित नामांतरण/बटवारें ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के अनुमोदन उपरांत किये जावे/राजस्व विभाग द्वारा बिना ग्राम पंचायत की राय से उक्त कार्य किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए।

(20) जिला पंचायत/जनपद पंचायतों के अध्यक्ष पदों पर चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जावें।

(21) प्रत्येक ग्राम पंचायत को कम्प्यूटर प्रदान कर ऑन–लाईन सीधे शासन से जो जोड़ा जावें एवं माह में होने वाली ग्राम पंचायतों में समस्त गतिविधियों कों शासन द्वारा ग्राम पंचायत को सीधे ऑन लाईन डॉटा भेजने की व्यवस्था की जावे।